निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 137 / 2024
दायरा दिनांकः–07.10.2024
निर्णय दिनांकः– 26.8.25

उनवान

1. ओमप्रकाश आयु 50 वर्ष पुत्र रामकिशन जाति धाकड
2. रूपपनारायण आयु 48 वर्ष पुत्र रामकिशन जाति धाकड
3. राजेन्द्र आयु 40 वर्ष पुत्र रामकिशन जाति धाकड
4. गुड्डी बाई आयु 45 वर्ष पुत्री रामकिशन जाति धाकड
5. राजेश बाई आयु 47 वर्ष पुत्री रामकिशन जाति धाकड
6. कंचन बाई आयु 70 वर्ष पत्नि रामकिशन जाति धाकड निवासीगण भुवाखेडी तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)

वाद पत्र अन्तर्गत धारां ,88,89,91 आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांकः– 26.8.25

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री राजेश लोधा – वादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा ,88,89,91, आर.टी.एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया ग्राम भुवाखेडी तःसील छबड़ा में भूमि खसरा नंबर 21 रकबा 1.8717 है० तथा ग्राम अमीरपुर उर्फ खेड़ी तहसील छबड़ा में खसरा नंबर 30 रकबा 2.5419 है० स्थित है। ये भूमि रामकिशन पुत्र भागचंद जाति धाकड़ निवासी ग्राम भुवाखेड़ी तहसील छबड़ा के नाम खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। इस भूमि को इस वाद पत्र में वादग्रस्त भूमि के नाम से संबोधित किया जा रहा है। वादग्रस्त भूमि के खातेदार रामकिशन पुत्र भागचंद थे। रामकिशन के पिताजी का नाम कान्हा उर्फ काना था। वादग्रस्त भूमि पहले भागचंद पुत्र रघुनाथ जाति धाकड़ के खातेदारी में चली आ रही थी। भागचंद के कोई संतान नहीं थी। उसने रामकिशन पुत्र कान्हा उर्फ कान्हा को गोद लेकर अपना पुत्र बना लिया था। खातेदार भागचंद की मृत्यु के पश्चात उसकी भूमि रामकिशन के नाम खाते दर्ज हुई है। भागचंद की मृत्यु पश्चात इंतकाल संख्या 6 तस्दीक हुआ। उसमें भी इसका अंकन है तथा भागचंद की भूमि रामकिशन मुतबन्ना भागचंद व वल्दीयात काना दर्ज करने का आदेश हुआ है। खातेदार रामकिशन मुतबन्ना भागचंद पुत्र कान्हा उर्फ काना

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला बारां (राज.)

का देहान्त दिनांक 02.08.2023 को हो चुका है। उसके उत्तराधिकारी वादीगण है, जो मृतक रामकिशन मुतबन्ना भागचंद पुत्र कान्हा उर्फ काना की वादग्रस्त भूमि का स्वयं को खातेदार कृषक घोषित करवाकर उसे अपने नाम खाते दर्ज कराने के अधिकारी है। वादग्रस्त भूमि वादीगण के कब्जे काश्त में चली आ रही है। पूर्व खातेदार भागचंद पुत्र रघुनाथ की मृत्यु पश्चात जो इंतकाल तस्दीक हुआ, उसमें वादग्रस्त भूमि रामकिशन मुतबन्ना भागचंद व वल्दीयात काना दर्ज करने का आदेश हुआ। इसके पश्चात की जमाबंदियों में भी रामकिशन मुतबन्ना भागचंद दर्ज था। परंतु पश्चातवर्ती जमाबंदियों में रामकिशन पुत्र भागचंद ही रहने दिया। मुतबन्ना शब्द नहीं लिखा गया। रामकिशन भागचंद का गोद पुत्र है। रामकिशन के पुत्र पिता कान्हा उर्फ काना है। रामकिशन की मृत्यु बाद वादीगण ने वादग्रस्त भूमि को उनके नाम दर्ज करने हेतु श्रीमान तहसीलदार महोदय, छबड़ा से दिनांक 01,10.2024 को कहा तो उन्होंने मना कर दिया तथा सक्षम न्यायालय में दावा प्रस्तुत करने के लिए कहा। वादग्रस्त भूमि पर बैंक से ऋण ले रखा है। वादीगण के खाते नहीं आने से ऋण जमा नहीं हो पा रहा है तथा निरंतर ब्याज बढ़ता जा रहा है। यह एक आवश्यक प्रकृति का मामला है। जिसमें शीघ्र कार्यवाही करना आवश्यक है। अतः यह वाद धारा 80 सी०पी०सी० का बिना नोटिस दिए प्रस्तुत किया जा रहा है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से जवाब पेश नही होने के कारण प्रतिवादीगण का जवाब दिनांक 17.03.2025 को बन्द किया गया। पैरोकार सरकार की ओर से जवाब पेश हुआ। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम भुआखेडी सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 52 नकल जमाबन्दी ग्राम अमीनपुर उर्फ खेडी सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 45 नकल नामान्तरण 6 ग्राम अमीपुर खेडी नकल मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया गया। साक्ष्य वादी में PW1 ओमप्रकाश PW2 रूपनारायण PW3 राजेन्द्र PW4 राजेश बाई PW5 गुड्डी बाई PW6 कंचन बाई PW7 बुजराज के बयान कराये गये।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई बहस के दौरान अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यो को दौहराया गया। अभिभाषक वादी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम भुआखेडी एवं ग्राम अमीनपुरखेडी तहसील छबडा में स्थित है। जो रामकिशन पुत्र भागचन्द जाति धाकड निवासी भुआखेडी के खातेदारी में दर्ज चली आ रही है रामकिशन के पिता का नाम कान्हा उर्फ काना था विवादित भूमि पहले भागचन्द पुत्र रघुनाथ के खातेदारी में थी भागचन्द के कोई औलाद नही थी। भागचन्द ने रामकिशन पुत्र कान्हा उर्फ काना को गोद लेकर अपना पुत्र बनाया था। खातेदार भागचन्द के मृत्यु के बाद उसकी भूमि नामान्तरण संख्या 6 से रामकिशन के खाते दर्ज हुई। नामान्तरण संख्या 6 में भागचन्द मुतबन्ना भागचन्द वल्दीयत काना दर्ज है खातेदार रामकिशन मुतबन्ना भागचन्द पुत्र कान्हा उर्फ काना का दिनांक 02.08.2023 को स्वर्गवास हो चुका है उसके उत्तराधिकारी वादीगण है वादीगण रामकिशन के खाते की भूमि को अपने नाम खाते दर्ज करवाना चाहतें है क्योकि मृतक खातेदार रामकिशन के वैध वारिसान वादीगण है नामान्तरण संख्या 6 के बाद जमाबन्दी में रामकिशन मुतबन्ना भागचन्द दर्ज था परन्तु बाद की जमाबन्दीयों में रामकिशन पुत्र भागचन्द दर्ज की दिया मुतबन्ना शब्द नही लिखा गया। रामकिशन भागचन्द का गोद पुत्र है रामकिशन के पिता कान्हा उर्फ

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला बारां (राज.)

होना है मृतक खातेदार को मृत्यु के बाद जायज वारिसान वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जावें।

इस सम्बन्ध में तहसीलदार छबडा से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार छबडा ने रिपोर्ट में बताया कि ग्राम भुआखेडी की भूमि खसरा नम्बर 21 रकबा 1.8717 है0 तथा ग्राम अमीनपुरखेडी की भूमि खसरा नम्बर 30 रकबा 2.5419 है0 भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2079 से रामकिशन पुत्र भागचन्द जाति धाकड निवासी ग्राम भुआखेडी के नाम दर्ज रिकार्ड है यह भूमि पहले भागचन्द पुत्र रघुनाथ जाति धाकड के खातेदारी में चली आ रही थी भागचन्द के फोत होने के बाद यह भूमि दोनो ग्रामों की भूमि रामकिशन मुतबन्ना भागचन्द जाति धाकड निवासी भुआखेडी के नाम दर्ज हुई जो सम्वत् 2056 से 2075 तक लगातार रामकिशन मुतबन्ना भागचन्द के नाम चली आ रही थी। (सेग्रीजेशन) जमाबन्दी रामकिशन मुतबन्ना भागचन्द के स्थान पर रामकिशन पुत्र भागचन्द दर्ज हो गया जो आदिनांक तक चला आ रहा है विवादित भूमि पहले भागचन्द पुत्र रघुनाथजाति धाकड के खातेदारी में चली आ रही थी भागचन्द के कोई सन्तान नही थी उसने रामकिशन पुत्र कान्हा उर्फ काना को गोद लेकर अपना पुत्र बना लिया था खातेदार भागचन्द की मृत्यु के पश्चात् उसकी भूमि रामकिशन मुतबन्ना भागचन्द के नाम खाते दर्ज हुई।

बहस अभिभाषक वादीग सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम भुआखेडी तहसील छबडा सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 52 (प्रर्दश 1) में रामकिशन पुत्र भागचन्द जाति धाकड सा0देह दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम अमीनपुरखेडी सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 45 में रामकिशन पुत्र भागचन्द जाति धाकड सा0 भुआखेडी दर्ज है नकल नामान्तरण संख्या 6 ग्राम अमीनपुरखेडी के अनुसार आज बैठक पंयायत में इन्तकाल पेश हुआ भागचन्द का करना प्रकट हुआ सुलवी औलाद नही है औरत भी नाते चली गई है। भागचन्द का पिता रघुनाथ का बडा भाई काना का लडका रामकिशन उम्र 10 साल का है यही वारिस है पंचों ने इसी के पगडी बधाईहै अतः आराजी 10.01 बीघा रामकिशन मुतबन्ना भागचन्द वल्दीयत काना दर्ज हो स्वीकार किया जाना पाया जाता है मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 05.12.2023 के अनुसार रामशिन पुत्र कान्हा उर्फ काना की मृत्यु दिनांक 02.08.2023 को होना दर्ज है प्रस्तुत रिकार्ड से यह साबित होता है कि खातेदार भागचन्द के कोई औलाद नही थी। कान्हा उर्फ काना के पुत्र रामकिशन को भागचन्द की आराजी का नामान्तरण दर्ज हुआ। रामकिशन के वारिसान वादीगण है रामकिशन की मृत्यु भी दिनांक 02.08.2023 को हो गई जमाबन्दी में रामकिशन पुत्र भागचन्द दर्ज है एवं मृत्यु प्रमाणण पत्र में रामकिशन पुत्र कान्हा उर्फ काना दर्ज है परन्तु भागचन्द के फोत होने के बाद फोती नामान्तरण रामकिशन के नाम दर्ज किया था उसमें यह लिखा हुआ है कि रामकिशन मुतबन्ना भागचन्द पुत्र काना दर्ज है इससे यह साबित होता है कि रामकिशन के पिता का नाम कान्हा उर्फ काना था रामकिशन भागचन्द के गोद गया था। वादीगण द्वारा रामकिषन क वारिसान होने एवं वाद पत्र में चाहे गए अनुतोष का प्रतिवादी द्वारा खंडन नही किया गया। अतः रामकिशन की मृत्यु के बाद वादीगण अपने नाम विवादित आराजी का फोती नामान्तरण दर्ज कराने के अधिकारी है तहसीलदार द्वारा भी मृतक रामकिशन को भागचन्द के गोद जाना बताया है वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला बारॉ (राज.)

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम भुआखेडी तहसील छबडा के खसरा नम्बर 21 रकबा 1.8717 है0 तथा ग्राम अमीनपुरखेडी तहसील छबडा के खसरा नम्बर 30 रकबा 2.5419 है0 का वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तदनुरूप डिक्री पर्चा जारी हों।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

उपखण्ड अधिकारी
छबडा जिला बारां (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां (राज0)

डिक्री

वाद संख्या 137 / 2024	धारा 88,89,91 ,आर टी एक्ट	निर्णय दिनांक:–
समक्ष : **श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां**		
उपस्थिति :अभिभाषकवादी:–श्री राजेश लोधा		अभिभाषक प्रतिवादी:– श्री

वाद शीर्षक

उनवान

1. ओमप्रकाश आयु 50 वर्ष पुत्र रामकिशन जाति धाकड
2. रूपपनारायण आयु 48 वर्ष पुत्र रामकिशन जाति धाकड
3. राजेन्द्र आयु 40 वर्ष पुत्र रामकिशन जाति धाकड
4. गुड्डी बाई आयु 45 वर्ष पुत्री रामकिशन जाति धाकड
5. राजेश बाई आयु 47 वर्ष पुत्री रामकिशन जाति धाकड
6. कंचन बाई आयु 70 वर्ष पत्नि रामकिशन जाति धाकड निवासीगण भुवाखेडी तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तद्नुरूप डिकी निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम भुआखेडी तहसील छबडा के खसरा नम्बर 21 रकबा 1.8717 है0 तथा ग्राम अमीनपुरखेडी तहसील छबडा के खसरा नम्बर 30 रकबा 2.5419 है0 का वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 26.8.25 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
छबडा जिला–बारां

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला बारां (राज.)

व्ययानुतोष

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वादपत्र / लिखित कथन		
2.	अभिभाषकपत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थनापत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिकअभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीसकमिश्नर		
8.	अन्य / क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		